भारतसरकार
पंचायतीराजमंत्रालय
लोकसभा
अतारांकितप्रश्न संख्या 2759
दिनांक16.12.2025 कोउत्तरार्थ

पंचायत सहायता योजना

2759. श्री जितेंद्र दोहरेः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित पंचायत सहायक योजना के अंतर्गत अनुबंध आधार पर कार्यरत पंचायत सहायकों के वर्तमान 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत कार्यरत महिला पंचायत सहायकों को प्रसूति अवकाश प्रदान करने हेतु कोई नीति तैयार की जा रही है;

(ग) क्या सरकार पंचायत सहायक पद पर वर्तमान ग्राम प्रधान प्रणाली के स्थान पर अपनी स्वयं की निर्धारित, पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह)

(क) से (ख) "पंचायत", "स्थानीय सरकार" होने के कारण, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। पंचायतें,संविधान के प्रावधानों के अधीन,संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों,जो राज्य दर राज्य भिन्न हो सकते हैं,के माध्यम से स्थापित और संचालित की जाती हैं। तदनुसार, पंचायत सहायकों के मानदेय में वृद्धि, महिला पंचायत सहायकों को प्रसूति अवकाश प्रदान करने और पंचायत सहायकों के पद पर नियुक्तियों सहित पंचायतों से संबंधित सभी मामले संबंधित राज्य सरकार के दायरे में आते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक योजना के तहत वर्तमान में अनुबंध के आधार पर 6,000 रुपये के निश्चित मासिक मानदेय पर कार्यरत पंचायत सहायकों के मानदेय को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मानदेयके अतिरिक्त, पंचायत सहायकों को जन सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए सेवा आधारित प्रोत्साहन भी मिलता है। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों को प्रसूति अवकाश देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चूंकि ग्राम पंचायत एक स्वायत्त संविधानिक निकाय है, इसलिए इनको महिला पंचायत सहायकों को ऐसी छुट्टी या अन्य आवश्यक राहत,जैसा उचित समझा जाए, प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है।

(ग)उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि पंचायत सहायकों की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी, उद्देश्यपरक, योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया पहले से ही लागू है। मौजूदा प्रक्रिया के तहत, केवल संबंधित ग्राम पंचायत का

एक स्थानीय निवासी ही पात्र है, और चयन पूरी तरह से कक्षा 10 और कक्षा 12 में प्राप्त उच्चतम औसत अंकों के आधार पर किया जाता है, जिससे प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

(घ) भाग (ग) को ध्यान में रखकर उत्पन्न नहीं होता।

*****